पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 288/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 16.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 16.09.2024 को थाना फूलपुर पुलिस द्वारा बिजली तार की चोरी करने के दौरान करेन्ट लगने से हुई युवक की मौत की घटना का अनावरण करते हुए युवक की शव को छुपाने वाले 03 अभियुक्तों को चोरी की तार के साथ गिरफ्तार किया गया है।

थाना- फूलपुरः बिजली तार की चोरी करने के दौरान करेन्ट लगने से हुई युवक की मौत; युवक की शव को छुपाने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 08-09-2024 को वादी मुकदमा त्रिलोकी नाथ चौबे पुत्र रामनरायन चौबे ग्राम अम्बारी पाण्डे का पुरा तह0 फुलपुर कोतवाली फुलपुर आजमगढ़ के द्वारा लिखित तहरीर दी कि वादी का पोता हर्षित चौबे जिनकी उम्र 16 वर्ष दिनांक 07 सिम्तबर 2024 को दिन मे 10 बजे से गायब है हम लोगो द्वारा नात रिस्तेदार सगे सम्बन्धी मे कही पता नही कोई अप्रिय घटना होने की अशंका हो रही है पूरा परिवार डरा व सहमा हुआ है इनके साथ गाँव के दो लड़के जिनका नाम नकूल पुत्र रामकरन राजभर व जगदीश पुत्र करमजीत यादव इसी गांव के कुछ लोगो द्वारा बाजार मैं देखे गये है के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 462/24 धारा 137(2) बीएनएस अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 रज्जन द्विवेदी के द्वारा की जा रही है दौरान विवेचना अभियुक्त 1.जगदीश यादव पुत्र कर्मजीत यादव ग्राम अम्बारी पाण्डे का पुरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2. जियालाल पुत्र देवीदीन ग्राम ओरिल थाना पवई जनपद आजमगढ़, 3. नकुल राजभर पुत्र रामकरन राजभर ग्राम अम्बारी पाण्डे का पुरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा अपृहत की लाश बरामदगी के आधार पर धारा 238 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

➡दिनांक 12-09-2024 को वादी मुकदमा अवर अभियन्ता मनीष कुमार 33/11 के0वी0 विधुत उपकेन्द्र फूलपुर आजमगढ थाना फुलपुर कोतवाली फुलपुर आजमगढ़ कि 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र फूलपुर के 11 के0वी0 अम्बारी फीडर मे पेषित गाँव पाण्डेय का पूरा मे पूर्व मे बन्द 33 के0वी0 लाइन जो कि 132 के0वी0 शाहगंज से आ रही है। का तार गाँव के कुछ लोग चोरी करते है तथा पूछताछ करने पर कोई जानकारी भी नही मिलता है अतः आप से निवेदन है कि 33 के0वी0 लाइन जो शाहगंज से फूलपुर के उपकेन्द्र के आया था उसके तार (ACSR कण्डटर Dog) के चोरी किये जाने के सम्बन्ध मे अज्ञात लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे। तार चोरी की घटना विगत कई दिनो से होता आ रहा है के सम्बन्ध में थाना फूलपुर से मु0अ0सं0 465/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 रज्जन द्विवेदी के द्वारा की जा रही है दौरान विवेचना अभियुक्त 1.जगदीश यादव पुत्र कर्मजीत यादव ग्राम अम्बारी पाण्डे का पुरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2. जियालाल पुत्र देवीदीन ग्राम ओरिल थाना पवई जनपद आजमगढ़ 3. नकुल राजभर पुत्र रामकरन राजभर ग्राम अम्बारी पाण्डे का पुरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटना का अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी फूलपुर को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक- 16.09.2024 को उप निरीक्षक रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.जगदीश यादव पुत्र कर्मजीत यादव ग्राम अम्बारी पाण्डे का पुरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2. जियालाल पुत्र देवीदीन ग्राम ओरिल थाना पवई जनपद आजमगढ़ 3. नकुल राजभर पुत्र रामकरन राजभर ग्राम अम्बारी पाण्डे का पुरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को भेडिया मंदिर पर जाने वाले मार्ग से समय 03-50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 7.9.2024 को समय करीब 9.30 बजे सुबह हम दोनो साथ मे घुम रहे थे समय करीब 9.30 बजे गाँव के सरकारी ट्यूबेल के पास घुमते हुये पहुचे तो ट्यूबेल पर हमारा दोस्त हर्षित चौबे उर्फ शिवा

पुत्र मुकेश चौबे जो हमारे ही गाँव अम्बारी पाण्डे का पुरा का रहने वाला है मिला ,जो चिन्तित था,फिर हम तीनो लगभग 11.00 बजे दिन तक गाँव के काली माता मन्दिर पर जाकर बैठे थे,फिर वहाँ से चलकर समय लगभग 11.30 बजे शराब का ठेका पर गये, हर्षित चौबे उर्फ शिवा के पास 100 रुपया था तथा 100 रुपया नकुल राजभर के पास था, हम तीनो ने शराब ठेका से एक शीशी शराब तथा गुड्डू की दुकान से नमकीन,कोल्डड्रींक, सिगरेट एवं गुटका लिये और शराब ठेका के पीछे बैठकर शराब पीये। शराब पीकर हम तीनो वहाँ से निकल गये हम लोगो के पास और पैसा नही था औऱ शराब पीने के लिये पैसे की आवश्यकता थी। हम तीनो ने गाँव के पास से जा रही 33 के0वी0 बिजली के तार जिसमें करेन्ट नही आता है,विजली का तार काटकर उसे बेचकर पैसे की व्यवस्था करने की योजना बनाये तथा उसके पूर्व में भी मैं जगदीश यादव व हर्षित चौबे ने उक्त विजली के तार को काटकर अम्बारी बाजार मे अभियुक्त जियालाल के कबाड के दुकान पर लगभग 10 मीटर विजली के तार को बेचे थे। हर्षित चौबे उर्फ शिवा ने पिलास की व्यवस्था किया था। हम तीनो ने गाँव के पास से गयी 33 के0वी0 बिजली के तार को पेड़ के सहारे चढ़ कर एक छोर का सबसे उपर का तार काटकर नीचे गिरा दिये,इसके बाद हम तीनो दूसरे विद्युत पोल जो महेन्द्र पाण्डेय के बाजरे के खेत मे स्थित है के पास आकर जमीन पर गिरे हुए विद्युत तार को हर्षित चौबे उर्फ शिवा ने पिलास से काटने लगा कि तभी उस विद्युत तार मे करेन्ट आ गया और हर्षित चौबे उर्फ शिवा को करेन्ट लग गया। उसको बचाने मे नकुल राजभर को भी करेन्ट के झटके लगे थे फिर लाइट तुरन्त कट गयी। विजली का करेन्ट लगने से हर्षित चौबे उर्फ शिवा मौके पर अचेत हो गया। काफी प्रयास के बाद भी जब वह होश में नही आया तो हम दोनो नकूल व जगदीश मिलकर उसे वहाँ से उठाकर बाजरे के खेत मे ले जाकर छिपाकर मौके भाग गये। मृतक घटना के दिन हम लोगों के साथ था।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 462/2024 धारा 137(2)/238 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2- मु0अ0सं0 465/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.जगदीश यादव पुत्र कर्मजीत यादव ग्राम अम्बारी पाण्डे का पुरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2. जियालाल पुत्र देवीदीन ग्राम ओरिल थाना पवई जनपद आजमगढ़

3. नकुल राजभर पुत्र रामकरन राजभर ग्राम अम्बारी पाण्डे का पुरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- लगभग 10 मीटर बिजली का तार

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।